FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0327 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 10/12/2025 17:43 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 03/12/2025 Date To (दिनांक तक): 09/12/2025

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 12:30 बजे Time To (समय तक): 13:30 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 10/12/2025 Time (समय): 16:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 003 Date & Time (दिनांक एवं समय) 10/12/2025 17:43:25 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH-EAST, 60 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLI

(b)Address(पता): KASBA GRAM PANCHAYAT, MUSALIYA, MARWAR JUNCTION JILA PALI

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): CHHAGANSINGH

(b) Father's Name (पिता का नाम): RAJUSINGH

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1980 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	CHHAPERA, MARWAR JUNCTION, MARWAR JUNCTION(PALI), PALI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	CHHAPERA, MARWAR JUNCTION, MARWAR JUNCTION(PALI), PALI, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	KANTA SHARMA		पति:LET. SURESH KUMAR	1. KANTALIYA,MARWAR JUNCTION,BAGRI,PALI,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,500.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकभ्रश्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली-प्रथम। विषयः- रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाने बाबत।महोदय ,निवेदन है कि प्रार्थी के पुत्र दिलखुशसिंह व पुत्री निकीता जिनका जन्म प्रमाण पत्र में आधार न. जोडवाने हेतु में ग्राम पंचायत मुशिलीया के ग्राम विकास अधिकारी कान्ता शर्मा से जाकर समस्त कागजात देकर पुत्र व पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में माता-पिता के आधार नम्बर जोडने का निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि एक जन्म प्रमण पत्र में आधार न. जोडने के 1500 रू कि मांग कि में मेरे जायज कार्य के लिये दोनो जन्मप्रमाण पत्र में आधार न0 जोडने के बदले में 3000 रूपये रिश्वत नहीं देकर कान्ता शर्मा को पकडवाना चाहता हूँ० मेरी कान्ता शर्मा से कोई दुश्मनी नहीं है नही वो मेरे से कोई बाकाया पेसे नही मांगती है, आप कानुनी कारवाई करावें।दिनांक 03.12.2025स्थान सोजत सिटी हस्ताक्षर एएसपी धर्मेन्द्र डूकिया दि0 03.12.25निष्पक्ष गवाहहस्ताक्षर गवाह-आदित्यसिंहहस्ताक्षर गवाह- पुष्पेन्द्र चौधरीहस्ता0 एएसपी धर्मेन्द्र डूकिया दिनांक 08.12.25 हस्ताक्षर(छगनसिंह पुत्र राजुसिंह रावत)गांव छोपडा पोस्ट जोजावरमा०े.न.

कार्यवाही पुलिसदिनांक 03.12.2025 को वक्त 10.00 एएम पर मोबाईल नम्बर से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल न0 पर कॉल आया कॉल करने वाले व्यक्ति ने स्वयं का परिचय देते हुए बताया कि मेरा नाम छगनसिंह पुत्र राजुसिंह रावत है, गॉव छापेंडा पोस्ट जोजावर तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली है, मेरे जायज कार्य हेतु ग्राम पंचायत मुसालिया की ग्राम सेवक द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है, जिस पर परिवादी को कार्यालय आने हेतु कहने पर परिवादी ने बताया कि मैं पाली नहीं आ सकता मैं सोजत सिटी आया हुआ हू, आप सोजत आ जाये मैं मेरी रिपोर्ट व संबंधित कागजात आपको प्रस्तुत कर दुंगा। परिवादी श्री छगनसिंह से हुई मोबाईल वार्ता अनुसार लोक सेवक द्वारा रिश्वत राशि मांगने का मामला होनें से तथ्यो की पुष्टि एवं अग्रीम कार्यवाही के परिपेक्ष्य में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय सरकारी टवेरा, चालक अभय कुमार हैड कानि0 एमटी मय कानि0 ताराचन्द एवं ब्यूरो का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर व नया मेमोरी कार्ड के सोजत सिटी के लिए रवाना होकर वक्त 12.30 पीएम मरूधर केसरी धर्मशाला सोजतसिटी के सामने पहुचा जहा परिवादी श्री छगनसिंह रावत उपस्थित मिला जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना परिचय दिया जाकर तथ्यो के बारे में पुछताछ की तो श्री छगनसिंह ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट मय स्वयं का आधार कार्ड की फोटो प्रति मय दो जन्म प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियाँ मन् धर्मेन्द्र डूकिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को इस आशय की पेश की कि प्रार्थी के पुत्र दिलखुशसिंह व पुत्री निकीता जिनका जन्म प्रमाण पत्र में आधार न. जुडवाने हेतु में ग्राम पंचायत मुसालिया के ग्राम विकास अधिकारी कान्ता शर्मा से जाकर समस्त कागजात देकर पुत्र व पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में माता-पिता के आधार नम्बर जोडने का निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि एक जन्म प्रमण पत्र में आधार नम्बर जोडने के 1500 रू कि मांग की मैं मेरे जायज कार्य के लिये दोनो जन्मप्रमाण पत्र में आधार नम्बर जोडने के बदले में 3000 रूपये रिश्वती नहीं देकर कान्ता शर्मा को पकडवाना चाहता हूँ० मेरी कान्ता शर्मा से कोई दुशमनी नहीं है नही वो मेरे से कोई बकाया पेसे नही मांगती है, आप कानुनी कारवाई करावें तथा दरियाफत पर लिखित रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की पुष्टि की उक्त रिपोर्ट में अंकित तथ्यो तथा परिवादी द्वारा दरियाफ्त पर बताये तथ्यो से प्रथम दृष्ट्या लोक सेवक द्वारा वेद्य कार्य के लिए रिश्वत राशि मांगने का मामला बनना पाया जाता है। उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य में रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाये जाने का निर्णय कर हमारा ब्यूरो कार्मिक श्री ताराचन्द कानि0 का परिचय परिवादी श्री छगनसिंह रावत से करवाया जाकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर ऑपरेट करना परिवादी एवं ताराचन्द कानि को समझाया गया। आरोपी श्री कान्ता शर्मा ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) से रिश्वत राशि मांग के सम्बंध में होने वाली वार्ता डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की परिवादी श्री छगनसिंह से समझाईश की गई। परिवादी व ताराचन्द कानि. को आवश्यक हिदायत देकर डिजीटल वॉयस रिकार्डर खाली होना सुनिश्चित कर एक नया मैमोरी कार्ड की सील पैक खोलकर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगाकर श्री ताराचन्द कानि. को सुपुर्द कर हिदायत की कि परिवादी के साथ जाकर ग्राम विकास अधिकारी कान्ता शर्मा से वार्ता करने से पूर्व डिजीटल वॉयस रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द करें एवं परिवादी एवं आरोपी के मध्य होने वाली मांग सत्यापन वार्ता गोपनीय तोर पर सुनने व देखने का प्रयास करें तथा आरोपी एवं परिवादी के मध्य होने वाली मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड करवाकर परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकार्डर वापस प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर सुरक्षित वापस लेकर आवें वगैरह हिदायत कर परिवादी छगनसिह रावत एंव श्री ताराचन्द कानि0 मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के रवाना किये

गये। वक्त 6.30 पी.एम श्री ताराचन्द कानि. भ्रनिब्यूरो पाली-प्रथम उपस्थित आया एवं स्वीच ऑपशुदा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मुझ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत कर बताया कि श्रीमान् के निर्देशानुसार सोजत सिटी से श्री छगनसिह रावत के साथ जाकर ग्राम पंचायत मुसालिया से थोडा पहले पहुच ब्यूरो का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगा नया मेमोरी कार्ड खाली होना सुनिश्चित कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्ड ऑन कर परिवादी श्री छगनसिंह रावत को सुपुर्द कर मुनासीब हिदायत कर आरोपियाँ ग्राम विकास अधिकारी से मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लाने हेतु रवाना किया तथा मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुए आस-पास मुकीम रहा। कुछ समय बाद परिवादी मेरे पास आया एवं डिजीटल वॉयस रिकार्डर मुझे सुपुर्द किया, जिसका मैंने स्वीच ऑफ कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी नें मुझे बताया कि आरोपियाँ से रिश्वत राशि के बारे में मेरी वार्ता हो गयी है, आरोपीयाँ द्वारा मेरे 02 संतानों के जन्म प्रमाण पत्र में मेरे आधार नम्बर जोडने के बदले में 1500-1500 रूपये कुल 3000 रूपये की मांग कर मेरे द्वारा शपथ पत्र इत्यादि कागजात तैयार करवाने में खर्चा होने से रिश्वत राशि कम करने का कहने पर 1500 रूपये प्राप्त करने हेतु सहमत हुई है, जब भी मैं पुनः अपने कार्य के लिये श्रीमती कान्ता शर्मा ग्राम विकास अधिकारी से मिलूंगा मेरे जायज कार्य के बदले 1500 रूपये रिश्वत में लेगी। इस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक नें डिजीटल वॉयस रिकार्डर को ऑन कर सुना तो श्री ताराचन्द कानि. द्वारा बताये गये तथ्यो की पुष्टि हुई एवं आरोपियाँ श्रीमती कान्ता शर्मा द्वारा परिवादी के जायज कार्य की एवज में रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया। श्री ताराचन्द ने यह भी बताया कि परिवादी को श्रीमान् के निर्देषानुसार रिश्वत राशि की व्यवस्था करने का कहने पर परिवादी ने बताया कि मेरे पास अभी पैसों की व्यवस्था नहीं हुई है जैसे ही पैसों की व्यवस्था होगी मैं आपसे सम्पर्क कर लूंगा जिस पर श्रीमान् को हालात अर्ज किये गये एवं ट्रेप कार्यवाही में गोपनीयता बरतने की हिदायत कर परिवादी को श्रीमान् के निर्देषानुसार मौके पर ही रूखसत कर रवाना होकर आपके पास उपस्थित आया हूँ। ब्यूरो कार्मिक श्री ताराचन्द से प्राप्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मुझ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की अभिरक्षा में सुरक्षित रखा गया ट्रेप कार्यवाही में रिकॉर्ड मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रासक्रिप्ट आईन्दा परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति प्राप्त होने पर आइन्दा मुर्तिब करवाई जायेगी। सम्भावित ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा पाली, के नाम तहरीर जारी कर श्री धर्माराम कानि. को गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान पाबन्द कर लाने हेतु रवाना किया गया। श्री धर्माराम कानि. वापसी पर बताया कि कार्यालय समय समाप्त हो जाने से श्रीमान् अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा से सम्पर्क कर दो स्वतंत्र गवाह गोपनीय कार्यवाही हेतु भिजवाने हेतु कहने पर श्रीमान् द्वारा आदेश क्रमांक 1618 दिनांक 03.12.2025 जारी कर क्रमशः श्री पुष्पेन्द्र चौधरी सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री आदित्य सिंह कनिष्ठ लेखाकार को मुकर्र किया गया है, जिनसे मेरे द्वारा जरिये मोबाईल सम्पर्क कर दिनांक 04.12.2025 को 9.30 एएम पर ए.सी.बी. कार्यालय पाली-प्रथम आ जायेगे। दिनांक 04.12.2025 को वक्त 09.30 ए.एम पर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा पाली से पाबन्द शुदा दो स्वतंत्र गवाहान उपस्थित कार्यालय आये एवं मन् अति. पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया, दोनों गवाहान नें अपना-अपना परिचय क्रमशः श्री पुष्पेन्द्र चौधरी पुत्र श्री दलपतराज चौधरी उम्र 37 साल जाति सीरवी निवासी 10, सत्यनारायण मार्ग, सिन्धी कॉलोनी पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली हाल सहायक प्रशानिक अधिकारी , कार्यालय अतिरिक्त परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा जिला पाली एवं श्री आदित्यसिंह पुत्र श्री मांगूसिंह उम्र 32 साल जाति राजपुत निवासी सोनीगरा की पोल ग्राम पिपाडा, तहसील जैतारण पुलिस थाना आनन्दपुर कालू जिला ब्यावर हाल कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय अतिरिक्त परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा जिला पाली के रूप में दिया। जिस पर दोनो गवाहान को बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री आदित्यसिंह एवं श्री पुष्पेन्द्र चौधरी को ट्रेप कार्यवाही में आवश्यक गोपनीयता की हिदायत कर परिवादी द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क करने पर एवं तलबी पर तुरन्त उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया। दिनांक 08.12.2025 को वक्त 09.25 ए.एम पर परिवादी श्री छगनसिंह रावत के मोबाईल नम्बर से श्री ताराचन्द कानि0 के मोबाईल नम्बर पर कॉल आया व बताया कि मेरे पास आरोपियाँ को रिश्वत में देने हेतु 1500 रूपये की व्यवस्था हो गई है, मैं पाली नहीं आ सकता हूँ, आप लोग ग्राप पंचायत मुसालिया से थोडा पहले मै आपको उपस्थित मिल जाउंगा, जिस पर ताराचन्द कानि0 के बताये अनुसार परिवादी के पास पैसों की व्यवस्था हो जाने से अग्रीम ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान की तलबी की गई। दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री आदित्यसिंह एवं श्री पुष्पेन्द्र चौधरी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देषानुसार उपस्थित कार्यालय आये। वक्त 11.45 ए.एम पर प्रकरण में अग्रीम ट्रेप कार्यवाही हेतु श्री अशोक कुमार हैड कानि0 मालखाना प्रभारी की उपस्थिति में श्री निर्मलसिंह कनिष्ठ सहायक से एक अखबार की पुडियों में फिनोफ्थीन पाउडर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। मन् धर्मेन्द्र डूकिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री आदित्यसिंह कनिष्ठ लेखाकार व श्री पुष्पेन्द्र चौधरी, ब्यूरो जाब्ता के सदस्य श्री भैरूसिह सहायक उप निरीक्षक , अशोक कुमार मुख्य आरक्षक, धर्माराम कानि., श्री ताराचन्द कानि., रतनसिंह कानि., श्रीमती कौशल्या महिला कानि, श्री निर्मलसिंह कनिष्ठ सहायक , श्री हुकमसिंह कनिष्ठ सहायक व अभय कुमार हैड कानि. ड्राईवर के जरिये विभागीय वाहन एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन व ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक समग्री तथा विभागीय डिजीटल वॉयस रिकार्डर, विडियों रिकॉर्डर , लेपटॉप मय यूएसबी प्रिन्टर एवं सामान्य इलेक्ट्रीक प्रिन्टर सहित मय आवश्यक दस्तावेज के अग्रिम

कार्यवाही हेतु मेरे निर्देशानुसार ग्राम मुसालिया तहसील मारवाड जंक्शन की तरफ रवाना हुऐ। वक्त 01.15 पी.एम पर मन् धर्मेन्द्र डूकिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय सम्पूर्ण जाब्ता मय सरकारी व निजी वाहनों के फीगरा उपरोक्त के रवाना ग्राम पंचायत मुसालिया से कुछ दुरी पर बायोसा माताजी मंदिर ग्राम सवराड तलाब की पाल पहुचे जहा पूर्व पाबंदशुदा परिवादी श्री छगनसिंह रावत मुनासिब हिदायत के उपस्थित मिला। जिसने बताया कि मेरे पास 1500 रूपये की व्यवस्था हो गई है जो मैं साथ लेकर आया हॅू, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के साथ लाये दोनों स्वतंत्र गवाहान का परिचय श्री छगनसिंह रावत से करवाया गया एवं श्री छगनसिंह रावत द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट गवाहान को सुनायी एवं पढायी गयी तथा परिवादी एवं आरोपी के बीच वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन हुई वार्ता जो डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है, के महत्वपूर्ण अंशो को दोनो स्वतंत्र गवाहान को सुनाये गये। गवाहान द्वारा परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्यो एवं मांग सत्यापन के वक्त रिकार्ड की गई वार्ता से संतुष्ट होकर ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान रहने की सहमति प्रदान की गई। दोनो गवाहान नें परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात दनांक 08.12.2025 वक्त 02.10 पी.एम पर परिवादी श्री छगनसिंह ने दोनों निष्पक्ष गवाहान की उपस्थिति में आरोपियॉ श्रीमती कान्ता शर्मा ग्राम विकास अधिकारी को रिवशत के रूप में दी जाने वाली राशि 500-500 रूपये के 02 नोट तथा 100-100 रूपये के 05 नोट कुल 15,00 रूपये मुझ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित कर श्री निर्मलसिंह कनिष्ठ सहायक से उक्त सभी नोटों पर हल्का-हल्का फिनॉफ्थिलीन पाऊडर लगवाया गया। परिवादी श्री छगनसिंह रावत की जामा तलाशी गवाह श्री आदित्यसिंह से लिवाई जाकर रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि 15,00 रूपये श्री निर्मलसिंह के हाथ से परिवादी के पहने हुए पेन्ट की पीछे की जेब में रखवायी गयी तथा फिनॉफ्थिलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की क्रिया-प्रतिक्रिया के बारे में समझाईश कर दृष्टांत पृथक से दिया गया। उक्त कार्यवाही का विस्तृत विवरण फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वत राशि एवं प्रर्दशन फिनॉफ्थिलीन पाऊडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाऊडर में अंकित किया जाकर फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वत राशि व दृष्टान्त फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर अलग से मूर्तिब कर यू0एस0बी0 प्रिन्टर सरकारी वाहन से अटेच कर प्रिन्टर से प्रिन्ट लिया गया। फर्द पर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रनिंग नोट की गयी। कार्यवाही में नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले कार्मिक श्री निर्मलसिंह कनिष्ठ सहायक को आगे की कार्यवाही से पृथक कर ब्यूरो कार्यालय पाली पहुचने हेतु रवाना किया गया। परिवादी श्री छगनसिंह ने अपने स्तर पर ज्ञात कर बताया कि श्रीमती कान्ता शर्मा इस समय ग्राम पंचायत के कार्यालय में नहीं है, ऐसी स्थिति में कुछ समय इंतजार करने एवं पूर्व में ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब करने का निर्णय कर परिवादी छगनसिंह एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब कर विस्तृत हालात फर्द में अंकित किये गये सत्यापन वार्ता की विभागीय लेपटॉप के माध्यम से हैश वेल्यु प्राप्त कर फर्द में अंकित की गई । रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की कॉपी कर एक डब पेन ड्राईव तैयार किया गया । मूल मेमोरी कार्ड डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से निकालकर सफेद कपडे़ की थैली में सील मोहर किया जाकर कपड़े की थैली पर एवं फर्द पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा डब पेन ड्राईव को खुली हालत में रखा गया। उक्त मेमोरी कार्ड व पेन ड्राईव को सुरक्षा की दृष्टि से मुझ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं की अभिरक्षा में रखें। परिवादी श्री छगनसिंह ने आरोपियॉ श्रीमती कान्ता शर्मा ग्राम विकास अधिकारी की उपस्थिति के बारे में पुनः ज्ञात कर बताया की श्रीमती कान्ता शर्मा अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं है, आइन्दा उपस्थित होने पर मैं आपको कॉल कर अवगत कर दुगा। चूकि एसओ श्रीमती कान्ता शर्मा कार्यालय में उपस्थित नहीं होने से अग्रीम कार्यवाही नहीं की जा सकती ऐसी स्थिति में परिवादी श्री छगनसिंह रावत की पेन्ट की पिछली जैब में रखे नोट परिवादी के हाथों से निकलवाये जाकर परिवादी से एक सफैद लिफाफे में डलवाये जाकर ब्यूरो के ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। तत्समय की परस्थितियों में ट्रेप कार्यवाही सम्पन्न होना सम्भव नहीं होनें से परिवादी श्री छगनसिंह रावत को गोपनीयता बताये रखने एवं उक्त मामले किसी से चर्चा नहीं करने की हिदायत कर पुनः अपनी सकुनत ग्राम छापेडा के लिये रवाना किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय सम्पूर्ण हमरायान के ब्यूरो कार्यालय पाली-प्रथम के लिये रवाना होकर कार्यालय पहुचे मालखाना आईटम सीलबन्द मूल मेमोरी कार्ड मांग सत्यापन वार्ता एवं डब पेन ड्राईव मालखाना प्रभारी श्री अशोक कुमार हैड कानि0 को सुपुर्द कर मालखाना में रखवाये गये । दिनांक 09.12.2025 को वक्त 09.30 ए.एम पर ब्यूरो के समस्त ब्यूरो कार्मिक मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पूर्व निर्देशानुसार कार्यालय उपस्थित है, ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवहान श्री आदित्यसिह कनिष्ठ लेखाकार एवं श्री पुष्पेन्द्र चौधरी सहायक प्रशासनिक अधिकारी पूर्व पाबन्दशुदा ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। ट्रेप कार्यवाही में एस0ओ0 महिला होने से ब्यूरो कार्मिक श्रीमती कौशल्या महिला कानि0 के अतिरिक्त महिला कार्मिक की आवश्यकता होने से थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली के नाम तहरीर जारी कर महिला कानि0 श्रीमती संजू बेल्ट न0 उपस्थिति प्राप्त कर बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया गया।वक्त 11.30 ए.एम पर परिवादी श्री छगनसिंह रावत ने ब्यूरो के कार्मिक श्री ताराचन्द कानि0 से जरिये मोबाईल सम्पर्क कर अवगत करवाया कि मैंने अपने स्तर पर श्रीमती कान्ता शर्मा ग्राम विकास अधिकारी की उपस्थिति के बारे में ज्ञात कर लिया है, ग्राम विकास अधिकारी आज अपने कार्यालय ग्राम पंचायत मुसालिया में उपस्थित है, मेरे द्वारा अपने पैण्डिग कार्य के संबंध में ग्राम विकास अधिकारी से उनके कार्यालय में

मिलने पर वह मेरे कार्य करने हेतु मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त कर लेगी। कानि0 ताराचन्द द्वारा उक्त तथ्य मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताने पर पुनः कानि0 श्री ताराचन्द को हिदायत हुई की परिवादी को बायोसा माताजी मंदिर ग्राम सवराड उपस्थित मिलने हेतु पाबन्द करें,वक्त 11.45 ए.एम अग्रीम ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् धर्मेन्द्र डूकिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री आदित्यसिंह कनिष्ठ लेखाकार व श्री पुष्पेन्द्र चौधरी सहायक प्रशासनिक अधिकारी, ब्यूरो जाब्ता के सदस्य श्री भैरूसिह सहायक उप निरीक्षक, अशोक कुमार मुख्य आरक्षक, धर्माराम कानि., श्री ताराचन्द कानि., रतनसिंह कानि., श्री नरेन्द्र चौधरी कानि0 श्रीमती कौशल्या महिला कानि0, श्रीमती संजू महिला कानि0, श्री हुकमसिंह कनिष्ठ सहायक व अभय कुमार हैड कानि. ड्राईवर के जरिये विभागीय सरकारी वाहन एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन व ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक सामग्री तथा विभागीय डिजीटल वॉयस रिकार्डर, विडियों रिकॉर्डर , लेपटॉप मय यूएसबी प्रिन्टर एवं सामान्य इलेक्ट्रीक प्रिन्टर , ट्रेप बॉक्स में कागज के लिफाफे में रखी राशि यथास्थिति मय आवश्यक दस्तावेज के अग्रिम कार्यवाही हेतु मेरे निर्देशानुसार ग्राम मुसालिया तहसील मारवाड जंक्शन से कुछ पहले बायोसा माताजी मंदिर सवराड की तरफ रवाना हुऐ। वक्त 12.40 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय सम्पूर्ण हमरायान के ग्राम पंचायत मुसालिया से कुछ दुरी पर बायोसा माताजी मंदिर ग्राम सवराड तलाब की पाल पहुचे जहा पूर्व पाबंदषुदा परिवादी श्री छगनसिंह रावत मुनासिब हिदायत के उपस्थित मिला। जिसने मुझ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बतया कि मैंने अपने स्तर पर श्रीमती कान्ता शर्मा ग्राम विकास अधिकारी की उपस्थिति के बारे में ज्ञात कर लिया है, ग्राम विकास अधिकारी आज अपने कार्यालय ग्राम पंचायत मुसालिया में उपस्थित है, मेरे द्वारा अपने पैण्डिग कार्य के संबंध में ग्राम विकास अधिकारी से उनके कार्यालय में मिलने पर वह मेरे कार्य करने हेतु मेरे से 1500 रूपये रिश्वती राशि प्राप्त कर लेगी। तत्पश्चात अग्रीम ट्रेप कार्यवाही हेतु ब्यूरो के ट्रेप बॉक्स में से पूर्व में कागज के लिफाफे में रखी रिश्वती राशि ब्यूरो कार्मिक श्री अभय कुमार ड्राईवर से निकलवाई गई तथा परिवादी श्री छगनसिंह रावत की जामा तलाशी गवाह श्री आदित्यसिंह कनिष्ठ लेखाकार से लिवाई गई। परिवादी के पास अन्य कोई राशि अथवा संदिग्ध दस्तावेज नहीं रहने देते हुए परिवादी का मोबाईल फोन रहने दिया गया। ब्यूरो द्वारा पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी स्वतंत्र गवाह श्री आदित्यसिंह को सुपुर्द कर कागज में रखी फिनोफ्थलीयुक्त नोटो के नम्बरों से मिलान करवाया गया, नोटो के नम्बरो की पुष्टि होने व मिलान होने पर उक्त फिनोफ्नोफथलिन लगी रिश्वती राशि 1500 रूपये को परिवादी श्री छगनसिंह रावत के पहने हुए पेंट की पिछली जेब में श्री अभय कुमार हैड कानि0 ड्राईवर से रखवाई गई। परिवादी को हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि लेन-देन के उपरान्त अपने सिर पर दो-तीन बार हाथ फिराकर या अपने मोबाईल फोन से मन् अति. पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर ईशारा करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रास्ते में इन नोटो के हाथ नहीं लगावें तथा आरोपियों श्रीमती कान्ता शर्मा द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही देवे, श्री अभय कुमार हैड कानि0 ड्राईवर के दोनो हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री अभय कुमार हैड कानि0 ड्राईवर को हिदायत हुई की अग्रीम ट्रेप कार्यवाही में बरामदगी एवं धोवन कार्यवाही होने तक पृथक रहते हुए सरकारी वाहन में ही उपस्थित रहे, स्वतंत्र गवाहान को हिदायत हुई कि जहा तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच होनी वाली रिश्वत राशि का लेन-देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे। ब्यूरो स्टॉफ व स्वतंत्र गवाहन की आपसी जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु दस्तावेज या राशि नहीं रहने दी गई। ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात मन् धर्मेन्द्र डूकिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री आदित्यसिंह कनिष्ठ लेखाकार व श्री पुष्पेन्द्र चौधरी सहायक प्रशासनिक अधिकारी, ब्यूरो जाब्ता के सदस्य श्री भैरूसिह सहायक उप निरीक्षक , अशोक कुमार मुख्य आरक्षक, धर्माराम कानि., श्री ताराचन्द कानि., रतनसिंह कानि., श्री नरेन्द्र चौधरी कानि0 श्रीमती कौशल्या महिला कानि0, श्रीमती संजू महिला कानि0, श्री हुकमसिंह कनिष्ठ सहायक व अभय कुमार हैड कानि. ड्राईवर के जरिये विभागीय सरकारी वाहन एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन व ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक सामग्री तथा विभागीय डिजीटल वॉयस रिकार्डर, विडियों रिकॉर्डर , लेपटॉप मय यूएसबी प्रिन्टर एवं सामान्य इलेक्ट्रीक प्रिन्टर मय आवश्यक दस्तावेज के अग्रिम कार्यवाही हेतु मेरे निर्देशानुसार ग्राम मुसालिया तहसील मारवाड जंक्शन की तरफ रवाना होकर वक्त 01.10 पी0एम0 पर ग्राम पंचायत मुसालिया से कुछ दुरी पर रूककर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर परिवादी को सुपुर्द कर मय कानि. श्री ताराचन्द कानि0 , नरेन्द्र चौधरी एवं कानि. धर्माराम कानि. को अपनी स्थिति छुपाते हुए आरोपी व परिवादी के मध्य लेन-देन देखने का प्रयास करने की मुनासिब हिदायत कर परिवादी को आरोपी से संपर्क कर रिश्वत राशि आदान-प्रदान करने के लिये रवाना किया । मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय शेष जाब्ता अपनी अपनी स्थिति को छुपाते हुए ग्राम पंचायत मुसालिया परिसर के आस-पास मुकिम हुए। वक्त 01.30 पीएम पर परिवादी श्री छगनसिंह रावत नें ग्राम पंचायत मुसालिया से बाहर आकर अपने सिर पर आगे पीछे हाथ फेर कर गोपनीय ईशारा किया जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्वयं एवं हमराह जाब्ता द्वारा देखा गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता परिवादी श्री छगनसिंह रावत के पास पहुचे एवं परिवादी से ब्यूरो का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने कब्जे में लिया तथा परिवादी को साथ लेकर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय दोनो गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता के ग्राम पंचायत मुसालिया परिसर में बना भवन भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मुसालिया पंचायत समिति मारवाड

जंक्शन पाली जिला पाली में प्रवेश किया तो उक्त भवन में प्रवेश करते ही बायी तरफ के कमरे जिस पर ई-मित्र कक्ष लिखा हुआ है, उक्त कमरे में कुर्सी पर एक महिला बैठी हुई पायी गई जिसे देखकर उसकी तरफ हाथ से इशारा कर परिवादी श्री छगनसिंह रावत ने बताया कि यही कान्ता शर्मा है जिन्होंने अभी-अभी मेरे से रिश्वत राशि मांग कर 1500 रूपये प्राप्त कर अपने पहने हुए पीले रंग के स्वेटर की दाहिनी जैब में रखे है। जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक नें अपना, निष्पक्ष गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता का परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो उक्त महिला नें अपना नाम कान्ता शर्मा होना तथा ग्राम पंचायत मुसालिया में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत होना बताया। जिस पर हमारा जाब्ता में से श्रीमती कौशल्या महिला कानि0 से कान्ता शर्मा का दाहिना हाथ तथा श्रीमती संजु महिला कानि0 से बाये हाथ की कलाई के उपर से पकडवाये गये। तत्पश्चात् कान्ता शर्मा से परिवादी श्री छगनसिंह को पहचाननें एवं परिवादी से अभी थोडी देर पहले कोई राशि प्राप्त करने बाबत् पूछने पर कान्ता शर्मा पहले तो शान्त रही मगर तस्सली पुर्वक पुनः पुछने पर बताया कि मैं श्री छगनसिंह रावत को जानती हूँ, इन्होने कुछ दिनों पूर्व मेरे से सम्पर्क किया था इनके पुत्र व पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में माता पिता के आधार नम्बर जुडवाने हेतु आये थे, जिन्हे मैंने शपथ पत्र व अन्य दस्तावेज लाने के लिये कहा था, मेरे द्वारा पैसो की मांग नहीं की गई थी। जिस पर पास ही खडे परिवादी ने कान्ता शर्मा के शब्दों का खण्डन कर बताया कि मेरे पुत्र दिलखुस एवं निकिता के जन्म प्रमाण पत्र में मेरे व मेरी पत्नी के आधार नम्बर जुडवाने हेतु मैंने कान्ता शर्मा ग्राम विकास अधिकारी से सम्पर्क किया तो उन्होंने दोनों जन्म प्रमाण पत्र के हिसाब से 1500-1500 कुल 3000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा मेरे द्वारा कम करने का निवेदन करने पर दोनों जन्म प्रमाण पत्र में आधार नम्बर जोडने की ऐवज में रिश्वत राशि की मांग कर 1500 प्राप्त करने हेतु सहमत होकर मांग कर रिश्वत राशि 1500 रूपये अभी-अभी थोडी देर पहले कान्ता शर्मा ग्राम विकास अधिकारी ने प्राप्त कर अपने पहनी हुई पीली स्वेटर की दाहिनी जैब में रखे है। जिस पर आरोपियाँ को पुनः तस्सली देकर पुछने पर कान्ता शर्मा ने उक्त राशि प्राप्त करना कबुल किया व बताया कि मैंने उक्त राशि शपथ पत्र तैयार करवाने की ऐवज में ली थी, जो राशि मेरे पहनी हुई स्वेटर की दाहिनी जैब में रखी है। इस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक नें परिवादी से पूर्व में प्राप्त किया ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकार्डर चलाकर सुना तो रिश्वत राशि का आदान-प्रदान की वार्ता रिकार्ड होना पायी गयी। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही प्रारम्भ कर जरिये विडियोग्राफी हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए प्लास्टिक की पारदर्शी (डिस्पोजेबल) दो साफ गिलास में साफ पानी भरवाकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। उक्त रंगहीन घोल के गिलास में आरोपियाँ कान्ता शर्मा ग्राम विकास अधिकारी के दाहिने हाथ की अंगुलिया व अंगुठा डुबोकर धुलवायी गई तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितान ने गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को कांच की दो साफ शीषियो में आधा-आधा भरा जाकर सील मोहर कर चेपो पर मार्क RH1 एवं RH2 अंकित कर चेपो पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपियाँ कान्ता शर्मा ग्राम विकास अधिकारी के बांये हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को दुसरे गिलास के रंगहीन घोल में डुबोकर धुलवायी गई तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिस सभी उपस्थितान ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया उक्त धोवन को कांच की दो साफ शीषियो में आधा-आधा भरा जाकर सील मोहर कर चेपो पर मार्क LH1 एवं LH 2 अंकित कर चेपो पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। धोवन में प्रयुक्त दोनों डिस्पोजेबल प्लास्टिक के गिलासों को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात आरोपियाँ कान्ता शर्मा की जामा तलाशी हमारा जाब्ता श्रीमती कौशल्या महिला कानि0 एवं श्रीमती संजु महिला कानि0 से आरोपियाँ कान्ता शर्मा के पहने हुए स्वेटर की दाहिनी जैब से पाँच सौ - पाँच सौ रूपये के 02 नोट एवं एक सौ रूपये-एक सौ रूपये के 05 नोट तथा 20 रूपये का एक नोट एवं 02 रूपये का एक सिक्का कुल 1522 रूपये मिले जिसे स्वतंत्र गवाह श्री पुष्पेन्द्र चौधरी से गिनवाये गये तो कुल 15,22 रूपये होना पाये गयें। स्वतंत्र गवाह श्री आदित्यसिंह को पूर्व से मुर्तिब शुदा फर्द पेशकशी रिश्वती राशि सुपुर्द कर पेशकशी में अंकित नोटो के नम्बरों से मिलान उक्त बरामदगी राशि के नोटो के नम्बरों से करवाने पर राशि 1500 रूपये के नोटों के नम्बर हुबहु फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों के अनुसार पाये गये1. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 0 CK 9659222. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 9 FS 5700883. एक नोट एक सौ रूपये का नम्बरी 6 VF 6598494. एक नोट एक सौ रूपये का नम्बरी 6 VF 6598505. एक नोट एक सौ रूपये का नम्बरी 6 VF 6598516. एक नोट एक सौ रूपये का नम्बरी 6 VF 6598527. एक नोट एक सौ रूपये का नम्बरी 6 VF 659853उक्त भारतीय मुद्रा 15,00 रूपये को बतौर वजह सबूत सफेद लिफाफे में रख उक्त लिफाफे को कपडे की थैली में डालकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कपडे की थेली को शील्ड मोहर किया जाकर कब्जा एसीबी लिये गये। शेष 22 रूपये आरोपियाँ स्वयं के होनें से उसे पुनः लौटाये गये। तत्पश्चात आरोपियाँ कान्ता शर्मा के पहनी हुई स्वेटर मर्यादा पूर्वक महिला कानि0 से उतरवायी गयी। इसके बाद ट्रेप बॉक्स में से एक नया पारदर्शी प्लास्टिक (डिस्पोजेबल) साफ गिलास निकलवाकर साफ पीने का पानी भरवाया गया। उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाउडर डालकर चम्मच से हिलाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितान ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त तेयार रंगहीन घोल में रिश्वती राशि बरामदगी स्थल उक्त पीली रंग की स्वेटर की दाहिनी जैब को उलटर दो-तीन बार डूबाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया । जिसे

सभी उपस्थितान ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया । उक्त गहरे गुलाबी रंग के घोल को कॉच की दो साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर चस्पों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शीशियों को शील्ड मोहर कर मार्क S-1 व S-2 अंकित किया गया। उपरोक्त की गई धोवन एवं बरामदगी की कार्यवाही की विडियोग्राफी ब्यूरो के डिजीटल विडियों रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करवाई गई। उक्त स्वेटर की जेब को सुखोकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर एक कपडे० की थैली में डालकर कपड़े की थेली को शील्ड मोहर कर मार्क - S अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। बारामदगी स्थल पर ही परिवादी छगनसिंह के पैण्डिग कार्य से संबंधित दस्तावेजात के बारे में पुछने पर कार्यालय में ही होना बताया मगर प्रस्तुत नहीं किये । जिस पर पुनः परिवादी के कार्य से संबंधित दस्तावेज का पुछने पर टेबल पर पास ही रखी कागज की थैली में अन्य दस्तावेजो के साथ उपलब्ध दस्तावेजो में से दो जन्म प्रमाण पत्र संशोधन पत्रावलियाँ पेश की उक्त दोनों पत्रावलियों को पृष्ठांकित कर प्रत्येक पेज पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त दोनों पत्रवलियाँ कब्जा ब्यूरो ली गई। तत्पष्चात ट्रेप कार्यवाही में आरोपियाँ कान्ता शर्मा द्वारा परिवादी छगनसिंह के पुत्र एवं पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में परिवादी एवं उसकी पत्नी (माता-पिता) के आधार नम्बर जुडवाने की एवज में रिश्वती राशि की मांग कर आज दौराने कार्यवाही 1500 रूपये रिश्वती राशि प्राप्त की गई। कार्यालय ग्राम पंचायत मुसालिया परिसर में बना भवन भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मुसालिया पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन पाली जिला पाली से दौराने हाथ धोवन एवं बरामदगी कार्यवाही परिवादी छगनसिंह से संबंधित दस्तावेजों की पत्रावलियों के अलावा अन्य संदिग्ध दस्तावेज एवं नगदी मिलने की संभावना होने से नियमानुसार किसी के आवास की तलाशी हेतु सक्षम न्यायालय से तलाशी वारण्ट प्राप्त करना आवश्यक है, परन्तु न्यायालय से तलाषी वारण्ट प्राप्त करने में समय लगेगा इस बीच कान्ता शर्मा ग्राम विकास अधिकारी के हितबद्ध द्वारा कार्यालय में रखी नगदी, संदिग्ध राशि , दस्तावेज इत्यदि खुर्द बुर्द कर देगें। इसलि तुरन्त तलाशी आवश्यक होने से धारा 185,105,103 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार बिना वारण्ट तलाषी लिया जाना तय किया जाकर स्वतंत्र गवाहान एवं उपस्थित श्री गंगाराम कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत मुसालिया की उपस्थिति में खाना तलाशी प्रारम्भ कर तलाशी के दौरान मिली राशि 11,240 रूपये के संबंध में संतुष्टि पूर्ण जवाब प्राप्त नहीं होने पर उक्त राशि को संदिग्ध मानते हुए जब्त कर मार्क K अंकित किया गया तथा प्राप्त संदिग्ध दस्तावेजो को जब्त कर नियमानुसार सीलबन्द मार्क D अंकित कर सम्पूर्ण विस्तृत विवरण फर्द में अंकित कर नियमानुसार फर्द खाना तलाशी मुर्तिब की गई। तत्पश्चात वक्त 04.35 पी0एम0 पर आरोपियाँ कान्ता शर्मा के सहकर्मी श्री गंगाराम कनिष्ठ सहायक एवं श्री पारसमल देपन ग्राम रोजगार सहायक उपस्थित है, आरोपियाँ कान्ता शर्मा ग्राम विकास अधिकारी. व परिवादी श्री छगनसिंह रावत के बीच रिश्वती राशि मांग सत्यापन की डब पेन ड्राईव एवं रिश्वती राशि लेन-देन के वक्त हुई वार्ता जो ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड है, आरोपियाँ की आवाज की पहचान करवाने हेतु उक्त दोनों वार्ताओं को आरोपियाँ के सहकर्मीयों को परिवादी की उपस्थिति में सुनवाई गई , डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता एवं डब पैन ड्राईव में रिकॉर्ड वार्ताओं को सुनकर उक्त वार्ताओं में से एक आवाज कान्ता शर्मा की होना ताईद करने पर नियमानुसार रूबरू स्वतंत्र गवाहान फर्द आवाज पहचान मुर्तिब की गई। आरोपियाँ श्रीमती कान्ता शर्मा को अपने आपराध धारा 7 पी0सी0 एक्ट 1988 यथा संशोधित 2018 से आगाह कर भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता के नये प्रावधानों के तहत धारा 35 का नोटिस जारी नियमानुसार आरोपियाँ श्रीमती कान्ता शर्मा पत्नी स्वर्गीय सुरेश कुमार पुत्री श्री भीखाराम उम्र 45 साल जाति ब्रहाम्ण निवासी ग्राम कंटालिया तहसील मारवाड जंक्शन थाना बगडी जिला पाली को अपने आपराध धारा 7 पी0सी0 एक्ट 1988 यथा संशोधित 2018 से आगाह कर रूबरू स्ततंत्र गवहान उपस्थित महिला कानिस्टेबलगण श्रीमती कौशल्या एवं श्रीमती संजू के नियमानुसार गिरफतार कर फर्द गिरफतारी पृथक से मुर्तिब की गई। गिरफतारी की सूचना उनके कहेनुसार भाई बद्रीनारायण शर्मा को व बहिन श्रीमती संतोषदेवी को जरिये मोबाईल कॉल दी गई। वक्त 05.50 पी0एम0 मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , परिवादी श्री छगनसिंह, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री आदित्यसिंह कनिष्ठ लेखाकार एवं श्री पुष्पेन्द्र चौधरी सहायक प्रशासनिक अधिकारी मय जाब्ता घटनास्थल ग्राम पंचायत मुसालिया परिसर होने से उपस्थित स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री छगनसिंह की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण प्रारम्भ कर फर्द नक्शा मौका एवं हालात घटनास्थल मूर्तिब की जाकर विस्तृत हालत फर्द में अंकित कर फर्द पर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पष्चात वक्त 06.25 पी0एम0 पर परिवादी श्री छगनसिंह रावत व आरोपियाँ श्रीमती कान्ता शर्मा के मध्य दिनांक 09.12.2025 को वक्त रिश्वत राशि लेन-देन के दौरान हुई वार्ता ब्यूरो डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकार्डशुदा को उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में विभागीय लेपटॉप से अटेच कर सुन-सुनकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि वक्त लेनदेन वार्तालाप एवं हैशवेल्यु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देषन में ब्यूरो कार्मिक ताराचन्द कानि0 से तैयार करना प्रारम्भ की गयी। आरोपियाँ कान्ता शर्मा ग्राम विकास अधिकारी एवं परिवादी की आवाज की पहचान परिवादी श्री छगनसिंह ने की। रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की विभागीय लेपटॉप के माध्यम से हैशवेल्यु प्राप्त कर फर्द में अंकित की गई । रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की कॉपी कर एक डब पैन ड्राईव तैयार की गई । मूल मेमोरी कार्ड डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से निकालकर सफेद कपडे० की थैली में सील मोहर किया जाकर कपडे की थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर कपडे की थैली एवं फर्द पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा डब पैन ड्राईव को खुली हालत में

रखा गया। उक्त मूल मेमोरी कार्ड व डब पैन ड्राईव सुरक्षा की दृष्टि से मुझ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं की अभिरक्षा में रखें। वक्त 08.25 पी0एम0 पर सम्पूर्ण मौका कार्यवाही मौके पर कर सम्पूर्ण मुर्तिबा फर्दात मय जब्त आर्टिकल्स मय हमरायान सम्पूर्ण जाब्ता दोनो गवाहन मय गिरफतार शुदा आरोपियाँ के सीएचसी सोजत रोड पहुच आरोपियाँ का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की गई। ताबाद रवाना हो आरोपियाँ को सुरक्षा की दृष्टी से थाना सदर में सुपुर्द करवाया गया मन् धर्मेन्द्र डूकिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमारायान मय ट्रेपबॉक्स, जब्तशुदा रिश्वत राशि की शिल्डमोहरशुदा कपडे की थैली एवं धोवन के प्रादर्श, सीलशुदा मार्क RH1 RH 2 LH 1 LH 2 एवं S1 S 2 ,रिश्वत राशि बरामद स्थल पीले रंग का स्वेटर मार्क मार्क S , बरामदा रिश्वत राशि 1500 रूपये एक सफैद कपडे की थैली में सीलशुदा, खाना तलाशी में जब्त शुदा संदिग्ध राशि 11240 रूपये सफैद कपडे की थैली मार्क K खाना तलाशी में बरामद संदिग्ध दस्तावेज सफैद कपडे की थैली में सीलशुदा मार्क D, शिल्डमोहरशुदा कपडे की थैली रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता एवं डब पैन ड्राईवे खुली हालत में लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर आदि सामग्री मय मुर्तिबा समस्त फर्दात के ब्यूरो कार्यालय पाली-प्रथम पहुच ,ट्रेप प्रकरण से संबंधित प्रादर्श सीलशुदा मार्क RH1 RH 2 LH 1 LH 2 एवं S1 S 2 , रिश्वत राशि बरामद स्थल पीले रंग का स्वेटर मार्क मार्क S , बरामदा रिश्वती राशि 1500 रूपये एक सफैद कपडे की थैली में सीलशुदा , खाना तलाशी में जब्त शुदा संदिग्ध राशि 11240 रूपये सफैद कपडे की थैली मार्क K खाना तलाशी में बरामद संदिग्ध दस्तावेज सफैद कपडे की थैली में सीलशुदा मार्क D, शिल्डमोहरशुदा कपडे की थैली रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता मूल मेमोरी कार्ड एवं डब पैन ड्राईवे खुली हालत में लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर आदि सामग्री मुर्तिबा फर्दात अनुसार मालखाना प्रभारी श्री अशोक कुमार हैड कानि. 126 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। तत्पश्चात दिनांक 10.12.2025 को वक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री आदित्यसिंह कनिष्ठ लेखाकार , श्री पुष्पेन्द्र चौधरी सहायक प्रशासनिक अधिकारी की उपस्थिति में दौराने ट्रेप कार्यवाही फर्द हाथ धोवन एवं बरामदगी रिश्वती राशि (सीजर) की सम्पूर्ण कार्यवाही ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग हेतु प्रयुक्त ब्यूरो के विडियो रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड तथा खाना तलाशी की सम्पूर्ण कार्यवाही ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग हेतु प्रयुक्त ब्यूरो के विडियो रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड को विडियो रिकॉर्डर से सुरक्षित हालत में निकालकर ब्यूरो के लेपटॉप के माध्यम से हैष वेल्यु श्री ताराचन्द कानि. से निकलवाई गई फर्द पृथक से मुर्तिब कर आर्टिकल्स जमा मालखाना करवाये गये। तत्पचात दोनो स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में ट्रेप कार्यवाही में रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ताओं के मूल कार्ड जब्ती, रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड जब्ती, कपडे की थैली में शिल्डशुदा रिश्वत राशि, आरोपियाँ के दोने०ा हाथो के पृथक पृथक धोवनों एवं उसके वक्त वाका पहनी हुई स्वेटर की जेब के धोवन की शिल्डशुदा शीशियां, आरोपियाँ के स्वेटर, हाथ धोवन एवं बरामदगी कार्यवाही तथा खाना तलाशी कार्यवाही की विडियो रिकॉडिंग के पृथक-पृथक मेमोरी कार्ड इत्यादि शिल्ड मोहर करने में प्रयुक्त की गई पीतल की सील की फर्द नमूना सील मुर्तिब की गई। अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपियाँ कान्ता शर्मा द्वारा लोक सेवक होते हुए परिवादी छगनसिंह के पुत्र दिलखुससिंह एवं पुत्री निकिता के जन्म प्रमाण पत्र में माता-पिता यानि परिवादी छगनसिंह एवं उनकी पत्नी के आधार नम्बर जोडने के वैध कार्य की एवज में दिनांक 03.12.2025 को रिश्वती राशि मांग दौराने ट्रेप दिनांक 09.12.2025 को 1500 रूपये प्राप्त करने पर रिश्वत राशि आरोपियाँ के कब्जे से बरामद की गई, आरोपियाँ श्रीमती कान्ता शर्मा पत्नी स्वर्गीय सुरेश कुमार पुत्री श्री भीखाराम उम्र 45 साल जाति ब्रहाम्ण निवासी ग्राम कंटालिया तहसील मारवाड जंक्शन थाना बगडी जिला पाली का उक्त कृत्य आपराध धारा 7 पी0सी0 एक्ट 1988 यथा संशोधित 2018 का कारित करना पाया जाने से आरोपियाँ कान्ता शर्मा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मुसालिया के विरूद्व बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपे०ार्ट अन्तर्गत धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर पंजीयन हेतु सादर प्रेषित है।(धर्मेन्द्र डूकिया)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली-प्रथम.............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री धर्मेन्द्र डूकिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-प्रथम ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीया श्रीमती कान्ता शर्मा पत्नी स्वर्गीय सुरेश कुमार पुत्री श्री भीखाराम उम्र 45 साल जाति ब्रहाम्ण निवासी ग्राम कंटालिया तहसील मारवाड जंक्शन थाना बगडी जिला पाली हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मुसालिया तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री कुयाराम, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 143 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 1852-55 दिनांक 10.12.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली 2- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् पाली जिला पाली 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-प्रथम । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** KUYARAM **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb Impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,I
Date: 1 2/2025 1 0

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	1980				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(वह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)